Ex.P.-476

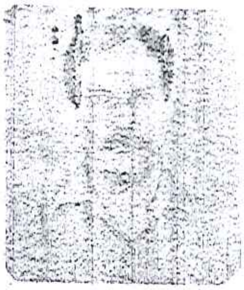

S-12

कथन
(धारा 161 द०प्र०सं०)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक–09 / 15

जिला–रायपुर।
धारा–धारा–109, 120(बी) भा.द.वि., 13(1) (डी) सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

अखिलेश कुमार श्रीवास्तव पिता स्व. डॉ. आनंद स्वरूप श्रीवास्तव, उम्र 52 वर्ष, पद खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, कालीबाड़ी रायपुर, निवासी– जी 3/4, जी.ए.डी. कॉलोनी, कचना, रायपुर।

——00——

पूछने पर बताया कि मैं उपरोक्तानुसार व्यक्ति हूँ। पूछने पर बताया कि मैंने खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग, में 29.12.1987 को प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इदगाह हिल्स भोपाल, म.प्र. में कार्यभार ग्रहण किया था। दिनांक 05 अगस्त 2011 से नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर की प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक के रूप में अधिसूचित होकर कार्य कर रहा हूँ।

पूछने पर बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के विनियम 2011 के खाद्य सुरक्षा मानक (फूड प्रोडक्ट स्टेण्डर्ड एण्ड फूड एडिटेव) के क्रमांक 2.9.30(3) में आयोडीन नमक के मानक निर्धारित हैं, जिसके अनुसार मैनुफेक्चर लेबल पर न्यूनतम 30 पी.पी.एम. आयोडीन एवं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिटेल लेवल पर सहित न्यूनतम 15 पी.पी.एम. आयोडीन होना चाहिए। पूछने पर बताया कि इस आधार पर कम से कम मोइस्चर में जो नमक का फॉर्म रहता है पी.पी.एम. लेवल 15 का होना आवश्यक है ताकि हम मानक स्तर का नमक कह सकें।

आज दिनांक को [illegible] क्रमांक/खा.व.प्र/2015/182 रायपुर दिनांक 23.0[illegible].2015 को दिखाकर पूछने पर बताया कि यह पत्र मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तथा इसमें मैंने मंदिर हसौद, नवापारा राजिम एवं अभनपुर से जप्त आयोडीन नमक के नमूनों का विश्लेषण किया है, जो कि दिनांक 13.02.2015 को कपड़े की थैली में सिलकर सीलबंद [illegible] नमूने मुझे प्राप्त हुए थे। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि मंदिर हसौद से जप्त कुल 32 नमूनों में मात्र 08 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 24 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि नवापारा राजिम से जप्त कुल 20 नमूनों में मात्र 11 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 09 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से

कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि अभनपुर से जप्त कुल 20 नमूनों में मात्र 16 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 04 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई।

आज दिनांक को पत्र कमांक/खा.प.प्र/2015/480 रायपुर दिनांक 04.03.2015 को दिखाकर पूछने पर बताया कि यह पत्र मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तथा इसमें मैंने धमधा नाका दुर्ग, मण्डी परिसर दुर्ग, केशलूर बस्तर, जगदलपुर बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, धमतरी, तिलशिवा सूरजपुर, प्रतापपुर सूरजपुर, देवरीखुर्द बिलासपुर, मरवाही बिलासपुर, पेण्ड्रारोड बिलासपुर, मडना पेण्ड्रारोड बिलासपुर, लिंगियाडीह बिलासपुर, करगीरोड बिलासपुर, तखतपुर बिलासपुर, जयरामनगर बिलासपुर, बिल्हा बिलासपुर एवं ओरदा रायगढ़ से जप्त अमृत नमक के नमूनों का विश्लेषण किया है, जो कि दिनांक 25.02.2015 को सिलबंद होकर 102 नमूने मुझे प्राप्त हुए थे। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि धमधा नाका दुर्ग से अमृत नमक के जप्त कुल 08 नमूनों में मात्र 03 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 05 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि मण्डी परिसर दुर्ग से अमृत नमक के जप्त कुल 20 नमूनों में मात्र 09 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 11 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि केशलूर बस्तर से अमृत नमक के जप्त कुल 04 नमूनों में मात्र 02 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 02 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि जगदलपुर बस्तर से अमृत नमक के जप्त कुल 02 नमूनों में से दोनों नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि कोण्डागांव से अमृत नमक के जप्त कुल [illegible] नमूनों में मात्र 02 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष [illegible] नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि कांकेर से जप्त अमृत नमक के दोनों पैकेटों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि धमतरी से जप्त अमृत नमक के दोनों पैकेटों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि तिलशिवा सूरजपुर से अमृत नमक के जप्त कुल [illegible] नमूनों में मात्र [illegible] नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई

तथा शेष 04 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि प्रतापपुर सूरजपुर से अमृत नमक के जप्त कुल 04 नमूनों में मात्र 02 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी. एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 02 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि देवरीखुर्द बिलासपुर से अमृत नमक के जप्त कुल 04 नमूनों में चारों नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि मरवाही बिलासपुर से अमृत नमक के जप्त कुल 04 नमूनों में मात्र 02 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 02 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि पेण्ड्रारोड बिलासपुर से अमृत नमक के जप्त कुल 04 नमूनों में चारों नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि मडना पेण्ड्रारोड बिलासपुर से अमृत नमक के जप्त कुल 04 नमूनों में मात्र 02 नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी. एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 02 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि [illegible] बिलासपुर से अमृत नमक के जप्त कुल 08 नमूनों में आठों नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि [illegible] बिलासपुर से जप्त कुल 04 नमूनों में सभी नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि [illegible] बिलासपुर से अमृत नमक के जप्त कुल 04 नमूनों में से सभी नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि जयरामनगर बिलासपुर से अमृत नमक के जप्त कुल 04 नमूनों में से चारों नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि [illegible] बिलासपुर से अमृत नमक के जप्त कुल [illegible] नमूनों में मात्र [illegible] नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 07 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि [illegible] से अमृत नमक के जप्त कुल [illegible] नमूनों में मात्र [illegible] नमूनों में ही आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई तथा शेष 02 नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई।

आज दिनांक को पत्र कमांक/खा.प.प्र/2015/482 रायपुर दिनांक 04.03.2015 को दिखाकर पूछने पर बताया कि यह पत्र मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तथा इसमें मैंने बालोद एवं डोंगरगढ़ से जप्त अमृत नमक के नमूनों का विश्लेषण किया है, जो कि दिनांक 28.02.2015 को सिलबंद होकर 10 नमूने मुझे प्राप्त हुए थे। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि बालोद से अमृत नमक के जप्त कुल 05 नमूनों में सभी नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से कम पाई गई। रिपोर्ट देखकर सुनिश्चित किया कि डोंगरगढ़ से अमृत नमक के जप्त कुल 05 नमूनों में सभी नमूनों में आयोडीन की मात्रा (शुष्क आधार पर) निर्धारित 15 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई। यही मेरा कथन है।

दिनांक--19.03.2015

ROAC, before me,

(एस०डी० देवस्थले)
निरीक्षक
ई०ओ०डब्ल्यू० रायपुर।